आदेश

मेसर्स वेलस्पन इनर्जी यू0पी0 प्राईवेट लि0 द्वारा प्रस्तुत ताप विद्युत परियोजना 1320 मेगावाट की स्थापना हेतु 12.5 एकड़ से अधिक भूमि क्रय करने की अनुमति प्राप्त करने सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र दिनांक 26.4.2011 पर जिलाधिकारी मीरजापुर द्वारा संख्या-1900/जि0भू0व्य0लि0/ वेलस्पन उर्जा उद्योग/2011-12 दिनांक 10 अक्टूबर 2011 द्वारा संस्तुति भेजी गयी है।

जिलाधिकारी, मीरजापुर के संस्तुति पत्र में राजस्व अनुभाग-1 के नीति विषयक शासनादेश संख्या-10/1-1 (7)/89-रा0-1 दिनांक 09 जनवरी 1989 के अनुसार उप जिलाधिकारी, सदर, मीरजापुर से 10-20 बिन्दुओं के सम्बन्ध में संस्तुति प्राप्त की गयी है। उप जिलाधिकारी सदर, मीरजापुर की संशोधित आख्या दिनांक 02.06.2011 के अनुसार बिन्दु संख्या-10 पर संक्रमण हेतु प्रस्तावित प्रयोजन की भूमि की आवश्यकता की पूर्ति निकटवर्ती गांवसभा/सीलिंग/अन्य सरकारी कृषि अयोग्य भूमि से नहीं किये जा सकने का उल्लेख है । बिन्दु संख्या-11 पर निकटवर्ती क्षेत्रों में औद्योगिक आस्थान आवासीय परियोजना अथवा किसी अन्य परियोजना के तहत भूमि नहीं उपलब्ध होने का उल्लेख किया है। बिन्दु संख्या-12 पर अन्तरिती तथा उसके परिवार के सदस्यों द्वारा प्रदेश में पहले से ही धृत भूमि का कुल क्षेत्रफल शून्य होना एवं तद्आशय का शपथ पत्र संलग्न किया गया है। भूमि के प्रयोजन, क्षेत्रफल तथा उपयोग के समर्थन में अन्तरिती का शपथ पत्र संलग्न किया गया है। बिन्दु संख्या-13 पर भूमि के प्रस्तावित अंतरण के प्रकरण में एक मात्र विक्रय पत्र द्वारा अंतरण का उल्लेख है। बिन्दु संख्या-14 पर अन्तरिती के विरुद्ध धारा-154(2) के उल्लंघन का कोई प्रकरण संज्ञान में नहीं होने का उल्लेख किया गया है । बिन्दु संख्या-15 में भूमि प्रस्तावित संक्रमण के फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्र में जन साधारण पर किसी कुप्रभाव के पड़ने की संभावना पर प्रस्तावित संक्रमण अंकित खातेदारो की सहमति से विक्रय के आधार पर होना है। फलतः जन साधारण पर किसी कुप्रभाव की संभावना नहीं है । परियोजना स्थापित होने के पूर्व पारिस्थितिकीय संतुलन एवं प्रदूषण के संबंध में संबंधित विभागों से अनापत्ति लिया जाना समीचीन होगा । बिन्दु संख्या-16 पर भूमि पर प्रस्तावित संक्रमण से आस पास कानून और व्यवस्था की स्थिति कुप्रभावित होगी अथवा नहीं, के संबंध में उल्लेख किया गया है कि प्रस्तावित संक्रमण अंकित खातेदारो की सहमति से विक्रय द्वारा होना है इसलिये कानून और व्यवस्था की स्थिति के प्रभावित होने की संभावना नहीं है । बिन्दु संख्या-17 पर जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है, उसके खण्ड-1 में अनुसूचित जाति के भू-स्वामी का 9.012हे0 क्षेत्रफल सम्मिलित है । खण्ड-2 के अनुसार अनुसूचित जनजाति का कोई भू-स्वामी नहीं है तथा खण्ड-3 के अनुसार असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर नहीं है । बिन्दु संख्या-18 पर संक्रमण होने वाले भूमि का विवरण एतद्सह संलग्न है । बिन्दु संख्या-19 पर संक्रमण होने वाली भूमि की उद्धरण खतौनी संलग्न है । बिन्दु संख्या-20 पर वेलस्पन इनर्जी यू0पी0 प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ताप विद्युत परियोजना की स्थापना हेतु 865.34एकड़ अर्थात 350.462हे0 भूमि के क्रय हेतु उ0प्र0ज0वि0 एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 की धारा-154(2) के अंतर्गत दिये जाने का उल्लेख है।

महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, मीरजापुर की आख्या कार्यालय 133/जि0उ0के0(मी0)/एस0टी0/उर्जा 30/2011-12 दिनांक 05.05.2011 के अनुसार बिन्दु संख्या-01 पर मे0 वेलस्पन इनर्जी यू0पी0 प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में पूरे पते के साथ भूमि क्रय किये जाने का उल्लेख है । बिन्दु संख्या-02 पर परियोजना/उद्योग की अनुमानित लागत अंकन रू0 7520.00 करोड़ रू0 मात्र (रूपये सात हजार पांच सौ बीस करोड़ मात्र) अनुमानित की गयी है, जिसमें 30 प्रतिशत स्वयं का एवं 70 प्रतिशत बैंक द्वारा लागत प्रतिपूर्ति का उल्लेख किया गया है । बिन्दु संख्या-03 व 05 पर प्रोजेक्ट रिपोर्ट एवं परियोजना का विन्यास **(Lay Out Plan)** संलग्न की गयी है । **भूमि का संक्रमण बिन्दु संख्या-04 के खण्ड-ग के अनुसार प्रोजेक्ट जन साधारण के हित के लिये उल्लिखित है।** बिन्दु संख्या-06 के संबंध में औद्योगिक प्रयोजन हेतु भूमि के संक्रमण की दशा में भारत सरकार द्वारा जारी आशय पत्र व प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अनुज्ञा पत्र के संबंध में उल्लिखित किया गया है कि 1312/एस0आई0ए0/आई0एम0ओ0/2011 दिनांक 27.04.2011 भूमि उपलब्ध होने पर आवेदन किया जायेगा। बिन्दु संख्या-07 पर संक्रमण के लिये प्रस्तावित भूमि पर लगाये जाने वाले उद्योग के प्रकार में उल्लेख है कि थर्मल पावर प्लान्ट 660x2=1320 मेगा वाट का होगा । बिन्दु संख्या-08 पर परियोजना के अनुसार न्यूनतम भूमि की आवश्यकता 875 एकड़ की उल्लिखित की गयी है एवं बिन्दु संख्या-09 पर तद्नुसार संक्रमण के लिये प्रस्तावित भूमि की स्थिति एवं उसके विवरण के क्रम में विवरण संलग्न है, का उल्लेख किया गया है।

अतः उपरोक्त विवरण के प्रकाश में मेसर्स वेलस्पन इनर्जी यू0पी0 प्राईवेट लि0 के पत्र दिनांक 26.4.2011 एवं उस पर प्राप्त जिलाधिकारी, मीरजापुर की संस्तुति दिनांक 10.10.2011 तथा शासन की विज्ञप्ति संख्या-180/एक-1(43)/1994 लखनऊ राजस्व अनुभाग-1 दिनांक 30 मई 1994 एवं तत्क्रम में तद्दिनांकित शासनादेश तथा परिषदादेश संख्या-बी/1208/5-92/1/98 दिनांक 04.12.1998 में प्रतिनिहित अधिकारो का प्रयोग करते हुये मे0 वेलस्पन इनर्जी यू0पी0प्राइवेट लिमिटेड को ग्राम ददरी खुर्द परगना कंतित तहसील सदर जनपद मीरजापुर के संलग्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि 12.50 एकड़ से अधिक अर्थात् 865.34 एकड़ भूमि ताप विद्युत परियोजना 1320 मेगावाट स्थापना के लिये क्रय करने हेतु निम्न

शर्तों के अधीन 12.50 एकड़ से अधिक अर्थात 865.34 एकड़ भूमि क्रय किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

1. भूमि क्रय किये जाने की अनुमति जिस प्रयोजन हेतु दी जा रही है, उसी प्रयोजन हेतु प्रयोगकिया जायेगा। किसी भी दशा में पक्षकार द्वारा प्रयोजन के विपरीत भूमि का प्रयोग किये जाने पर दी गयी अनुमति स्वतः निरस्त मानी जायेगी तथा तद्नुसार भूमि राज्य सरकार में निहित कर दी जायेगी।
2. अनुसूचित जाति/जनजाति के भूमिधरो की भूमि क्रय किये जाने हेतु अलग से उ0प्र0ज0वि0 एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 की धारा-157(क) के अंतर्गत नियमानुसार क्रय की अनुमति जिलाधिकारी की ओर से प्राप्त किया जायेगा ।

संलग्नकः अनुसूची ।

(एल0वेंकटेश्वर लू)
आयुक्त
विन्ध्याचल मण्डल, मीरजापुर ।

कार्यालय आयुक्त, विन्ध्याचल मण्डल, मीरजापुर

पत्र संख्या-1332/रा0स0-2011-12/वेलस्पन उर्जा उद्योग/अनुमति दिनांक 17 अक्टूबर 2011

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. सचिव, उर्जा अनुभाग-3, उ0प्र0शासन, लखनऊ ।
2. सचिव, उ0प्र0शासन, राजस्व अनुभाग-1, लखनऊ ।
3. जिलाधिकारी मीरजापुर ।
4. श्री कूक्कू टैक्कर, प्रोजेक्ट हेड, वेलस्पन इनर्जी यू0पी0प्राइवेट लिमिटेड, रूम नं0-26 दी गैलेक्सी लालडिग्गी रोड, मीरजापुर ।

(एल0वेंकटेश्वर लू)
आयुक्त
विन्ध्याचल मण्डल, मीरजापुर ।